न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 19/2018
GCMS No. : 2018/00017

–:: वादी ::–

1. प्रभूराम पुत्र अमराराम
जाति– रेगर, निवासी– रास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. बाबूलाल पुत्र अमराराम रेगर फौत के कायम मुकाम
 1/1. सुखी बेवा बाबूलाल
 1/2. पन्नाराम पुत्र बाबूलाल
 1/3. हेमराज पुत्र बाबूलाल
 1/4. अणदाराम पुत्र बाबूलाल
 1/5. जोराराम पुत्र बाबूलाल
 1/6. पारस पुत्र बाबूलाल
 1/7. श्रवण पुत्र बाबूलाल
 1/8. छोटी पुत्री बाबूलाल
 1/9. गेन्दा पुत्री बाबूलाल
2. तहसीलदार जैतारण,
 तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजूः. 10/01/2018

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 31/03/2020

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा रास पटवार हल्का रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी के दादा उदा पुत्र पुरा के नाम एवं जेठा पुत्र हीरा के नाम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 152 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल 20 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम बतौर उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया है तथा उनके देहान्त के बाद से ही वादी एवं उसके साथ प्रतिवादी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर काबिज काश्त है। वंश वृक्षावली अनुसार [illegible] सभी उदा के विधिक वारिसान है जिनका फौतदगी [illegible] अधिनियम के तहत विधिक वारिसानों का उक्त वंश वृक्षावली अनुसार बतौर वारिसान के रूप में उदा की सम्पूर्ण आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसे दर्ज नहीं किया जाकर भारी गलती की है। वंश वृक्षावली अनुसार विधिक वारिसान ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त सम्पति में अपना नाम की खातेदारी काश्ताकारी एवं नामान्तरण किया जाना कानूनी जरूरी है तथा इस सम्बन्ध मे कई बार वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपरोक्त वंश वृक्षावली अनुसार उदा पुत्र पुरा के विधिक वारिसानो मे जिन्दा वारिसानो के रूप मे केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादीगण ही है जिनके अनुसार वादी के पिता का नाम एवं उनके फौत होने पर उनक स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम दज किया जावे साथ ही जेठा नाऔलाद फौत हो जाने के कारण उनके स्थान पर भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण ही उक्त सम्पति के विधिक जिन्दा वारिसान होने से उनके नाम की खातेदारी काश्तकारी अधिकारो की घोषणा करना आवश्यक है नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी आरजी है व उक्त सम्पति मे अपने नाम की खातेदारी काश्तकारी अधिकारो की घोषणा कराने के अधिकारी होने से यह वादपत्र घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादी द्वारा उक्त सम्पति अपनी पेतृक पुश्तैनी सम्पति होने एवं उसके हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत विधिक वारिसान होने बाबत् पटवारी तहसीलदारजी को कई बार प्रार्थनापत्र तथा राजस्व कैम्प मे निवेदन किया लेकिन न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने का हवाला दिया। उक्त सम्पति वादी का नाम दर्ज नही होने से वादी को अनेक परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही उठा पा रहा है तथा इस कारण से वादी को असीम क्षति हो रही जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा इनत माम परिस्थितियो मे वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से व नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादी का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जाया इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय दावा दिनांक. 22/6/12 को वादी द्वारा राजस्व लोक अदालत मे अपना नाम दर्ज करने एवं नामान्तरण दर्ज करने खातेदारी घोषणा करने का निवेदन किया तो न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही करने का प्रतिवादी संख्या दो द्वारा [illegible] रास पटवार हल्का रास तहसील जैतारण जिला पाली मे पैदा [illegible] सम्पूर्ण राजस्व नकले दिनांक 10.01.2018 को प्राप्त होने से [illegible] एवं श्रवणाधिकार मे होने से अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष [illegible] है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब एवं राजीनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. वादी एवं प्रतिवादीगण अमराराम के वारिसान है। वादी के अनुसार खातेदार स्वर्गीय हीरा के दो संतान थी, अमरा एवं जेठा। अमरा के दो संतान क्रमशः प्रभूराम वादी एवं बाबूलाल प्रतिवादी हुये तथा जेठा नाऔलाद फौत हुआ। मृतक अमरा का पुत्र प्रभुराम प्रकरण में वादी है तथा मृतक पुत्र बाबुलाल के वारिसान प्रकरण में प्रतिवादीगण है।

2. वादी द्वारा शपथ पर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रास प्रथम के खसरा नम्बर 21 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 152 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा वादी के दादा उदा पुत्र पुरा एवं जैठा पुत्र हीरा के नाम दर्ज रही है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का नाम बतौर उत्तराधिकारी नाम दर्ज किया गया। वादी के पिता अमरा के भाई जैठा पुत्र हीरा नाऔलाद फौत हो चुके है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादी एवं प्रतिवादीगण ही उक्त सम्पति के विधिक वारिसान है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण को बतौर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाना तथा भू राजस्व रेकॉर्ड अमल दरामद किया जावें।

3. तहसीलदार जैतारण द्वारा पत्रांक 3212 दिनांक 21.09.2020 द्वारा प्रकरण में प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रास प्रथम के खसरा संख्या 21 रकबा 14-18 बीघा में प्रभुराम पुत्र अमरा हिस्सा 129/149, नेमीचन्द जाग्रत पुत्र चौथाराम हि. 20/149)1/2, महेन्द्र कुमार पुत्र लालाराम हि. 257/594, नेमीचन्द जाग्रत पुत्र चौथाराम हि. 20/297 खातेदार दर्ज है तथा खसरा संख्या 152 रकबा 05-16 बीघा में जेठा पुत्र हीरा बतौर खातेदार दर्ज है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित उपर्युक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम रास प्रथम के खसरा संख्या 21 रकबा 14-18 बीघा में दर्ज नोट के अनुसार डिक्री से उदा पुत्र पुरा के स्थान पर हीरा पुत्र पुरा जरिये नामान्तरण संख्या 4366 दिनांक 20.11.2017 दर्ज किया गया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के पैरा संख्या 01 में अंकित वंश वृक्षावली में उदा पुत्र पुरा(फौत) एवं हीरा(फौत) पुत्र उदा अंकित किया गया है तथा नामान्तरण संख्या 4466 दिनांक 03.07. 2018 द्वारा विरासत से हीरा पुत्र पुरा के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण को बतौर वारिसान खातेदार दर्ज किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा समस्त तथ्यों प्रकटन नहीं किया गया है तथा वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष में उपस्थित नहीं हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 21 [illegible] का में ही वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दौरान-ए-वाद [illegible] हस्तान्तरण किया गया है।

4. वादी द्वारा वादपत्र में जेठा पुत्र हीरा [illegible] किया है संख्या 21 व 152 में उसे हीरा के उत्तराधिकारी के [illegible] ये है। खसरा लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं [illegible] ये है। खसरा संख्या 21 में बतौर खातेदार दर्ज उदा पुत्र पुरा का अंकन है जिसे न्यायालय डिक्री से उदा पुत्र पुरा के स्थान हीरा पुत्र पुरा दर्ज किये जाने का अंकन है। यदि इसी प्रकार खसरा संख्या 152 में जेठा पुत्र हीरा के नाम से दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जेठा व अमरा भाई है तथा दोनों हीरा के पुत्र है जैसा कि वादी द्वारा कथन किया गया तो खसरा संख्या 152 में अमरा का नाम बतौर खातेदार दर्ज क्यों नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा न तो कोई कथन किया है तथा न ही कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

5. इसी प्रकार तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 08.09.2020 जो पटवारी पटवार हल्का रास प्रथम द्वारा तैयार कि गई है, में प्रभुराम को जेठा राम का पुत्र अंकित किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वादी- प्रदर्श-7 आधार कार्ड वादी प्रभुराम के अनुसार प्रभुराम को जेठाराम का दर्शाया गया है, जबकि वादी प्रभुराम द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, साक्ष्य शपथ PW-1 उभयपक्षकारान् द्वारा शपथपत्र पर निष्पादित राजीनामा के अनुसार वादी प्रभुराम अमराराम का पुत्र है तथा जेठा पुत्र हीरा लाऔलाद फौत हुआ है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कथनों से ही यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि जेठा पुत्र हीरा लाऔलाद था या नहीं तथा वादी प्रभुराम के पिता का नाम अमरा है या जेठा?

6. वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिस से यह साबित हो कि वादी एवं प्रतिवादीगण जेठा पुत्र हीरा के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वास्तविक एवं विधिक वारिसान है तथा खातेदार जेठा पुत्र हीरा लाऔलाद एवं लावारिसान फौत हो चुका है। इसी प्रकार प्रकरण में उभयपक्षकारान् द्वारा निष्पादित राजीनामा वादपत्र में अंकित कथनों, वांच्छित अनुतोष, प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं विधिक प्रावधानों से विसंगत एवं विरोधाभासी होनें से स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि वादी का वाद बखूबी साबित नहीं होता है, वादी के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में विरोधाभास है तथा वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है लिहाजा वाद वादी अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)